राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि / नरेगा / एमआईएस / 56223 / पार्ट–I   जयपुर, दिनांक : 10 SEP 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भुगतान हेतु डिजीटल हस्ताक्षर के संबन्ध में।**
संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 11.09.2014**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर एफ.टी.ओ. तैयार किये जाने एवं एफ.टी.ओ. को भुगतान हेतु अधिकृत किये जाने के लिए नामित अधिकारी तथा इनके विकल्प के लिए डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी.एस.सी.) बनाये जाये ताकि भुगतान में अनावश्यक परेशानी ना हो, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि डी.एस.सी. की वैधता पूर्ण होने से पहले ही इनका renew कराये जाने हेतु प्रकरण विभाग को तुरन्त प्रेषित किये जावे।

विभाग द्वारा समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया है कि कुछ स्थानों पर विकल्प के डी.एस.सी. नही बनवाये गये है एवं कुछ स्थानों पर डी.एस.सी. की वैधता समाप्त हो जाने के बाद उन्हें renew नही कराये गये है।

अतः इस संबन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि नामित अधिकारी / कार्मिक एवं विकल्प दोनों के डी.एस.सी. आवश्यक रूप से बनवाये जावे एवं डी.एस.सी. की वैधता समाप्त हो जाने की स्थिति में समय से पूर्व renew कराये जाने की कार्यवाही की जावे।

भवदीय

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एव संयुक्त सचिव, ईजीएस